अध्याय - 12

प्रोन्नति

पत्र संख्या–3/एम०–64/2009 का०–2108

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 31 मई, 2010

विषय :– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अवलोकन – अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के लिए प्रमाणपत्र के संबंध में।

महाशय,

कतिपय मामलों में पाया जाता है कि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन के लिए स्पष्ट मार्ग निदेश रहने के बावजूद समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन नहीं हो पाता है। समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन नहीं होने एवं प्रतिवेदक पदाधिकारी/समीक्षी पदाधिकारी/स्वीकरण पदाधिकारी के स्थानांतरित होने या सेवानिवृत/मृत होने पर ऐसी गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन कराया जाना या तो कठिन हो जाता है या अभिलेखन हो ही नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में प्रोन्नति के योग्य सरकारी सेवकों की भी प्रोन्नति प्रभावित हो जाती है। विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह उजागर हुआ है कि ससमय प्रोन्नति नहीं मिल पाने का एक कारण गोपनीय अभ्युक्तियों का ससमय अभिलेखन नहीं होना भी है।

2. इस परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के पत्रांक – 10570 दिनांक 24.10.07 के तहत यह निर्णय भी संसूचित किया गया कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्षों की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हों तो उक्त पाँच वर्षों से भी पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय और तदनुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय। परन्तु, कई मामलों में यह पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ नहीं रहती हैं। इसके फलस्वरूप प्रोन्नति प्रभावित ही रह जाती है। प्रोन्नति प्रभावित रहने से एक ओर सरकारी सेवक की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो दूसरी ओर प्रोन्नति के रिक्त पदों को समय पर भरा जाना संभव नहीं हो पाता है।

3. अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जिस वर्ष की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखित नहीं हो पायी

हों और उन्हें अभिलेखित कराया जाना संभव नहीं रह गया हो वैसे वर्ष के लिए, संबंधित सरकारी सेवक के वर्तमान पदस्थापन–स्थान के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के कार्य–कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाणपत्र दिया जाय। ऐसा प्रमाणपत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा।

4. विशेष प्रमाण पत्र देते हुए संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में संबंधित सरकारी सेवक की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन ससमय एवं नियमित रूप से हो। प्रमाणपत्र संबंधी उपर्युक्त विकल्प वर्ष 2009–2010 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामलों में ही लागू होगा।

5. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन
दीपक कुमार
सरकार के प्रधान सचिव

---

[2]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 25. 03. 2008

विषय :– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निलम्बन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लम्बित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत।

राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.02 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और निम्नांकित कोटियों के सरकारी सेवकों की प्रोन्नति के मामले में, उक्त संकल्प में विहित प्रक्रियानुसार, विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखा जायेगा–

(क) निलम्बित सरकारी सेवक

(ख) सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप–पत्र निर्गत किया गया हो, और

(ग) सरकारी सेवक जिनपर किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो। {आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लम्बित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोगपत्र (चार्जशीट) समर्पित किया गया हो।} बाद में, संकल्प संख्या 9270 दिनांक 17.12.03 के तहत लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा–10(1) (क) के तहत निर्गत नोटिस को भी उपर्युक्त कोटि में खंड (घ) के रूप में जोड़ा गया। इस क्रम में, संकल्प

संख्या 7979 दिनांक 06.11.03 के तहत यह निर्णय लिया गया कि लोकायुक्त कार्यालय से भी जनवरी एवं जुलाई माह में लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नोटिस और/अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी अद्यतन कर ली जायेगी।

2. राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न भी विचाराधीन था कि लोकायुक्त की अनुशंसा जिसमें बहुधा दिया जानेवाला दण्ड भी उल्लेखित रहता है, के आलोक में किसी सरकारी सेवक को दण्डित करने के पूर्व विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है या नहीं। इस पर विधि विभाग/महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया। उनसे प्राप्त परामर्श के आलोक में संकल्प संख्या 3406 दिनांक 08.10.07 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में पदमुक्त करने की सीधी कार्रवाई अधिनियम की धारा 2 (j) (iv) से आच्छादित लोक सेवकों के संबंध में ही की जा सकती है। सरकारी सेवकों के संदर्भ में लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में लघु दण्ड देने की स्थिति हो या वृहद दण्ड देने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। उल्लेखनीय है कि संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.02 के आलोक में लघु दण्ड के लिए कार्रवाई को प्रोन्नति पर कुप्रभावी होने की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अतः यदि लघु दण्ड के लिए लोकायुक्त की अनुशंसा होती है तो यह संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.02 के दायरे में नहीं आता है। यदि वृहत दंड की अनुशंसा होती है तो विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया अपनानी होगी। चूँकि विभागीय कार्यवाही का प्रोन्नति पर कुप्रभाव एवं उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष के मुहरबन्द लिफाफा में बन्द रखने का प्रावधान संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.2002 में पूर्व से ही है, अतः लोकायुक्त अधिनियम के तहत निर्गत नोटिस, जो लोकायुक्त द्वारा जाँच का प्रारंभिक स्टेज है, का प्रोन्नति पर कुप्रभाव पड़ने एवं उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष के मुहरबंद लिफाफे में बन्द रखने के प्रावधान के रहने से विरोधाभास की स्थिति हो गयी है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा–10(1)(क) के तहत निर्गत नोटिस की स्थिति का प्रोन्नति पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफा में नहीं रखा जायेगा। साथ ही, उपर्युक्त आलोक में, लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत नोटिस और/अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी को अद्यतन करते रहने की भी आवश्यकता नहीं है। तदनुसार इस विभाग का संकल्प सं० 7979 दिनांक 06.11.2003 तुरत के प्रभाव से, उपर्युक्त हद तक, संशोधित समझा जायेगा और संकल्प सं० 9270 दिनांक 17.12.2003 तुरत के प्रभाव से पूर्णतः विलोपित समझा जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरंत लागू होगा। इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिपार्ड, वाल्मी कॉम्पलेक्स, पटना/राज्य अभिलेखागार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

आर.जे.एम.पिल्लै

मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/एम 1–49/2001 का०–1607 पटना–15, दिनांक 25.03.2008

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 सौ मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायें।

आर.जे.एम.पिल्लै

मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/एम 1–49/2001 का०–1607 पटना–15, दिनांक 25.03.2008

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिपार्ड, वाल्मी कॉम्पलेक्स, पटना/राज्य अभिलेखागार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आर.जे.एम.पिल्लै

मुख्य सचिव

---

[3]

पत्र संख्या–सी०आर०को०–118/07 का०–10570

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 24. 10. 2007

विषयः– सरकारी सेवकों के प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अवलोकन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 22576 का० दिनांक 27.11.76 तथा पत्रांक 23757 का० दिनांक 16.12.76 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त संकल्प/परिपत्र के तहत विभागीय प्रोन्नति समितियों की कार्य प्रणाली निर्धारित है। परन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि प्रोन्नति की देय तिथि/वर्ष से पूर्व के कितने वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अवलोकन विभागीय प्रोन्नति समितियों के लिए आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में

एक कोटि/पद से दूसरी कोटि/पद पर प्रोन्नति हेतु विचार के लिए सामान्यतया प्रोन्नति की देय तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्रियों का अवलोकन विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा किया जाता है।

2. प्रायः यह देखा गया है कि प्रोन्नति के लिए जो प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समितियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें विचार–क्षेत्र में सम्मिलित सरकारी सेवकों में से कतिपय सरकारी सेवकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ अप्राप्त या अपूर्ण रहती हैं। प्रोन्नति की देय तिथि/वर्ष से विगत पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्रियाँ संधारित नहीं रहने पर सामान्यतया प्रोन्नति का मामला लम्बित रखा जाता है। पिछले पाँच वर्षों की लगातार गोपनीय चारित्रियों के अभाव में प्रोन्नति बाधित हो जाने के लिए संबंधित सरकारी सेवक का कोई दोष नहीं होता है। यह भी देखा गया है कि किसी पदाधिकारी की पिछले पाँच वर्षों से पहले की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अच्छी/उत्कृष्ट रहती हैं, परन्तु उन पर विचार नहीं किया जाता है और फलस्वरूप वैसी अच्छी/उत्कृष्ट गोपनीय अभ्युक्तियाँ रहते हुए भी उनकी प्रोन्नति प्रभावित हो जाती है। संबंधित सरकारी सेवक का इस संबंध में कोई दोष नहीं रहने के बावजूद इस तरह प्रोन्नति बाधित हो जाने से ऐसे सरकारी सेवक की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस कारण न्यायालय में अनावश्यक वाद भी दायर होते हैं।

3. वर्णित स्थिति में सम्यक् रूपेण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्षों की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हों तो उक्त पाँच वर्षों से भी पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय। कृपया तदनुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समितियों के विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

---

[4]

पत्रांक–3 / एम–083/07 का०–3259

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 26 सितम्बर, 2007

विषय :– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निलंबन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त–विभागीय प्रोन्नति समिति का निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने पर एतद्संबंधी रिक्ति को भरने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०–3/एम 1–49/2001–7457 दिनांक–11.09.2002 तथा 9270, दिनांक–17.12.2003 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.2002 की कंडिका–2 की उप कंडिका (iii) में प्रावधान है कि जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा गया हो, तो एतद्सबंधी रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा जा सकता है। राज्य सरकार के ध्यान में इस तथ्य को लाया गया है कि उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाता है, बल्कि पद सुरक्षित रख दिया जाता है। पद सुरक्षित रख देने से रिक्ति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी कार्रवाई उक्त संकल्प के प्रावधानों का उल्लंघन भी है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की कंडिका–2 की उप कंडिका (iii) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा जाय तो एतद्संबंधी रिक्ति को संव्यवहार में कनीय सरकारी सेवक की स्थानापन्न प्रोन्नति से भरे जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

---

[5]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 19. 06. 2007

विषय :– राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों/पदों आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित कालावधि की व्यवस्था का अंगीकरण–कालावधि की गणना के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 280, दिनांक 05. 07. 2002 के अन्तर्गत राज्य सरकार की सेवाओं/सवर्गों/पदों में वेतनमान आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है। किन्तु कतिपय विभागों/कार्यालयों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उपर्युक्त संकल्प में निर्धारित कालावधि के अनुसार प्रोन्नति पर विचार करते समय संबंधित पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि पूरी नहीं करने के कारण अधिकतर पद रिक्त रह जाते हैं और रिक्तियों के कारण कार्य सम्पादन में कठिनाई होती है। उपर्युक्त कठिनाइयों का निराकरण आवश्यक समझा गया है, ताकि रिक्तियों को समय पर भरा जा सके और फलस्वरूप विभागों/कार्यालयों का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित होता रहे।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि संकल्प सं० 280, दिनांक 05. 07. 2002 के तहत निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पाता हो वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/वेतनमानों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती

है। दृष्टान्तस्वरूप वेतनमान रु० 10,000—15,200/— से 12,000—16,500/— के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और 12,000—16,500/— के वेतनमान से 14,300—18,300 में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि 12,000—16,500/— के वेतनमान से 14,300—18,300/— के वेतनमान में प्रोन्नति विचारणीय हो तो 12,000—16,500/— के वेतनमान् में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न वेतनमान् (10,000—15,200/—) की कार्यावधि और धारित वेतनमान् (12,000—16,500/—) की कार्यावधि को जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकती है।

3. पूर्व में निर्गत संकल्प सं० 280 दिनांक 05.07.2002 को, तुरत के प्रभाव से, इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक—11/वि०4—का०नि०छु०—03/01 का०—2129 पटना—15, दिनांक 19.06.2007

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा—11) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक—11/वि०4—का०नि०छु०—03/01 का०—2129 पटना—15, दिनांक 19.06.2007

प्रतिलिपि— सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/बिहार लोक सेवा आयोग/लोकायुक्त के कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

विषय :— सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दिये जाने हेतु सेवा की गणना परीक्ष्यमान की तिथि से किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 4685 वि०(2) दिनांक 25.06.2003 में निदेश है कि बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, 2003 दिनांक 09 अगस्त, 1999 के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका–4. पात्रता और शर्तें की उप–कंडिका–4 में निदेश है कि "स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ केवल नियमित सेवा की गणना की जायगी जिसकी गणना नियमित प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ की जाती है। परिणामतः तदर्थ आधार पर की गयी सेवा अवधि की गणना स्कीम के अधीन वित्तीय लाभ की मंजूरी के लिए नहीं की जायगी भले ही उसे बाद में नियमित कर दिया गया हो और वेतनवृद्धि की मंजूरी दी गयी हो"।

बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त नियमावली, 2003 की कंडिका–4. पात्रता और शर्त्तें की उप–कंडिका–5 में निदेश है कि "स्कीम के अधीन वेतन उन्नयन की मंजूरी के निहित अध्यपेक्षाएँ एवं ढंग वही होंगे जो भर्त्ती/सेवा नियमावली में रिक्तियों के विरुद्ध नियमित प्रोन्नति के लिए विहित किये गये हों। यदि किसी प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा पास करना या कोई अन्य अर्हता विहित की गयी है तो स्कीम के अधीन लाभ की मंजूरी के लिए भी वह अनिवार्य शर्त्त होगी। यदि वे शर्त्तें नियमावली/परिपत्रों/संकल्पों के अधीन विहित की गयी हों"।

परन्तु स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन 12/24 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बाद देय होगा और इसके लिए नियमित प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि कोई बाधा नहीं होगी।

3. सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को ए.सी.पी. योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति के क्रम में ऐसे सदस्यों, जिनकी नियुक्ति बाह्य स्रोत से (प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न) हुई है, उनको ए०सी०पी० का लाभ देने के निमित्त उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि का निर्धारण विभाग के समक्ष विचाराधीन था। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 257 दिनांक 30.03.81 की कंडिका–2 में उल्लेख है कि सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 1962 से 1972 के बीच नहीं किया गया है और इस बीच विभागों में सहायक के रिक्त पदों पर विभागों द्वारा काम चलाने के लिए विभिन्न स्रोतों से तदर्थ नियुक्ति की गयी। उक्त संकल्प की कंडिका–4(ख) में उल्लिखित है कि इस प्रकार स्थायी पदों के विरुद्ध तदर्थ रूप से नियुक्त सभी अस्थायी सहायकों को उनकी लगातार सेवा के 3 वर्ष पूरा हो जाने की तिथि से, यदि उनकी सेवा संतोषजनक रही हो तो परीक्ष्यमान घोषित कर दिया जाय। इससे स्पष्ट है कि यदि सेवा में योगदान की तिथि से उनकी नियुक्ति नियमित की गयी रहती तो उसी तिथि से उन्हें परीक्ष्यमान घोषित किया जाता और उसी तिथि से उनकी वरीयता निर्धारित की गयी होती। उल्लेखनीय है कि वर्णित संकल्प के आधार पर बाह्य स्रोत से नियुक्त सहायकों की वरीयता का निर्धारण उनकी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि से नहीं कर उसके 3 वर्ष के उपरांत परीक्ष्यमान घोषित किये जाने की तिथि से की गयी है। साथ ही संयुक्त सम्वर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति मेधा–सह–वरीयता के आधार पर दी जाती है और वरीयता निर्धारण का आधार परीक्ष्यमान घोषित किये जाने की तिथि है।

4. सहायक संयुक्त संवर्ग के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति निम्नवर्गीय सहायक/सहायक के पद पर प्रतियोगिता परीक्षा/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र/संकल्प के प्रावधानों के अधीन मेधावी खिलाड़ी के आधार

पर हुई है, उन्हें सेवा में प्रथम योगदान की तिथि से ही परीक्ष्यमान घोषित किया गया है।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2023 दिनांक 20.04.2005 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि ए०सी०पी० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के क्रम में यह ध्यान में रखा जाएगा कि तदर्थ आधार पर की गयी सेवा अवधि की गणना वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी।

6. इस संदर्भ में वित्त विभाग का भी परामर्श है कि "ए०सी०पी० का लाभ देने के लिए कालावधि की गणना उनके द्वारा योगदान की तिथि के आधार पर विचार करने के लिए ए०सी०पी० योजना में संशोधन करना होगा। कार्यभारित कर्मियों को ए०सी०पी० के अंतर्गत आच्छादित करने का आधार यह था कि उनको केन्द्र सरकार द्वारा भी ए०सी०पी० के अंतर्गत आच्छादित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नियुक्त सहायकों के संबंध में केन्द्र सरकार में स्थिति की समीक्षा करनी होगी। इसके अतिरिक्त ऐसी ही माँग अन्य संवर्गों में भी इस तरह से नियुक्त कर्मियों द्वारा की जायेगी जिससे काफी समस्या हो सकती है। अतः वर्तमान में ए०सी०पी० नियमावली के वर्तमान प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई की जानी चाहिए।"

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु उनकी नियमित सेवा की गणना उनके परीक्ष्यमान घोषित किये जाने की तिथि से किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

8. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार/राज्यपाल सचिवालय तथा मुख्यमंत्री सचिवालय को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–15/सं०सं०–21–02/05 का०–390 पटना–15, दिनांक 31.01.2007

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–15/सं०सं०–21–02/05 का०–390 पटना–15, दिनांक 31.01.2007

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार/राज्यपाल सचिवालय तथा मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या–11/वि7–मनोनयन–01/2004–1331

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना–15, दिनांक 29. 07. 2005

विषय :– विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों के मनोनयन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 175 दिनांक 17.04.2004 द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना/प्रोन्नति समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया था एवं बीच–बीच में पदाधिकारियों की सेवानिवृति एवं अन्य कारणों से रिक्त हुए पद का प्रशासी विभाग के अनुरोध पर इसमें आंशिक संशोधन किया गया था।

वर्त्तमान में कतिपय पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति/अन्य कारणों के कारण उक्त मनोनयन प्रभावित हुआ है। अतः पूर्व के एतद् सभी आदेशों को विलोपित करते हुए निम्न पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाता है :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रतिस्थानी पदा० का नाम जो स्तंभ–2 में वर्णित पदा० के अनुपलब्धता की स्थिति में भाग लेंगे	आबंटित विभाग
1.	श्री उमाशंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग	श्री सियाराम महतो उप सचिव, स्वा0 चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	1. अल्पसंख्यक विभाग 2. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 3. कला,संस्कृति एवं युवा विभाग 4. कृषि विभाग 5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (संसदीय कार्य एवं मुख्य मंत्री सचिवालय सहित)

2.	श्री फुलेश्वर पासवान उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	श्री गणेश चौधरी उप सचिव पथ निर्माण विभाग	1. वित्त विभाग 2. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग 3. स्वा०चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग 4. पथ निर्माण विभाग 5. ग्रामीण विकास विभाग 6. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग 7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
3.	श्री कुंज बिहारी दास उप सचिव, वित्त विभाग	श्री लक्ष्मी नारायण भगत उप सचिव, उद्योग विभाग	1. भवन निर्माण विभाग 2. आवास विभाग 3. उच्च शिक्षा विभाग 4. उत्पाद एवं मद्य निषेध 5. गृह (कारा) विभाग 6. नगर विकास विभाग
4.	श्री रामानंद प्रसाद उप सचिव, अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायत राज निदेशालय	श्री भगत चौधरी उप सचिव वित्त विभाग	1. ऊर्जा विभाग 2. विधि विभाग 3. राजभाषा विभाग 4. सहकारिता विभाग 5. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
5.	श्री भगलु रजक उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग	श्री लक्ष्मी नारायण भगत उप सचिव उद्योग विभाग	1. सिविल विमानन विभाग 2. सांख्यिक (वित्त एवं कार्य० कार्यान्वियन विभाग) 3. वित्त अंकेक्षण विभाग 4. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
6.	श्री लक्ष्मी नारायण भगत उप सचिव उद्योग विभाग	श्री भगलु रजक उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग	1. राज्यपाल सचिवालय 2. 20—सूत्री कार्यक्रम विभाग 3. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
7.	श्री सियाराम महतो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	श्री भगत चौधरी उप सचिव, वित्त विभाग	1. आपदा प्रबंधन विभाग 2. वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग 3. पर्यटन विभाग

8.	श्री भगत चौधरी उप सचिव, वित्त विभाग	श्री रामचन्द्र चौधरी उप सचिव, सेकेण्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	1. परिवहन विभाग 2. गृह (विशेष) विभाग 3. खान एवं भूतत्व विभाग 4. प्राथमिक, माध्यमिक एवं वयस्क (जन शिक्षा) विभाग
9.	श्री गणेश चौधरी उप सचिव, पथ निर्माण विभाग	श्री फुलेश्वर पासवान उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	1. कल्याण विभाग 2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 3. ग्रामीण अभियंत्रण एवं पंचायती राज निदेशालय 4. राजस्व एवं भूमि सुधार
10.	श्री रामचन्द्र चौधरी उप सचिव, सेकेन्ड्री, प्राथमिक शिक्षा एवं वयस्क शिक्षा विभाग	श्री गणेश चौधरी उप सचिव, पथ निर्माण विभाग	1. गृह (आरक्षी) विभाग 2. योजना एवं विकास विभाग 3. पर्यावरण एवं वन विभाग 4. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
11.	श्री चन्द्रशेखर चौधरी उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग	श्री भगत चौधरी उप सचिव, वित्त विभाग	1. जल संसाधन विभाग 2. उद्योग विभाग (गन्ना विकास विभाग सहित) 3. निबंधन विभाग

मनोनीत सदस्यों को आबंटित विभागों के विरुद्ध राजस्व पर्षद एवं बिहार लोक सेवा आयोग के राजपत्रित/अराजपत्रित बैठकों में निश्चित रूप से उपस्थिति एवं हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है।

विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यावली/नियम के साथ एक सप्ताहांतर्गत निश्चित रूप से सभी संशोधित मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए सीधे पत्राचार कर उनसे सम्पर्क किया जाय।

मनोनीत सदस्य आरक्षण अधिनियम 3, 1992 के विहित प्रावधानों तथा अन्य संकल्पों/परिपत्रों/आदेशों के अनुपालन में कार्य करेंगे।

आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

पटना–15, दिनांक 29.07.2005

ज्ञापांक–1331

प्रतिलिपि–राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राजस्व पर्षद/मुख्य सचिव, बिहार/सचिव के सचिव, कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग/सभी मनोनीत सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

विषय :– विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/समिति के अध्यक्ष के संबंध में।

कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प सं० 7/पी०एस०सी०–03–1011/88 का०–2653, दिनांक 28.02.1989 द्वारा विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के पदों पर प्रोन्नति की अनुशंसा करने हेतु "विभागीय प्रोन्नति समिति" का गठन तथा उसकी कार्य प्रणाली का निरूपण किया गया है। उक्त संकल्प के परिशिष्ट–'ग' में सरकार के सभी विभागों को विभिन्न समूहों में विभक्त करते हुए हर विभाग के लिए एक–एक विभागीय समिति भी गठित की गई है।

2. राज्य सरकार ने विचारोपरान्त सेवा समूह के विभागों के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए पूर्व से मनोनीत अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो के स्थान पर विकास आयुक्त को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने का निर्णय लिया है। उक्त संकल्प के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

3. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

4. इस संकल्प के निर्गत होने के फलस्वरूप पूर्व में एतद् संबंधी संकल्प/निदेश/परिपत्र आदि उस हद तक संशोधित समझे जायेंगे जिस हद तक इस संकल्प के प्रावधान प्रभावी हों।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

चितरंजन सिंह

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०1–01/2005 का०–7087 पटना–15, दिनांक 02 अगस्त, 2005

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं राजपत्र की 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

चितरंजन सिंह

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०1–01/2005 का०–7087 पटना–15, दिनांक 02 अगस्त, 2005

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, पटना/विकास आयुक्त, पटना/कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

चितरंजन सिंह

सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या–3 / क्यू1–01/2001–7895

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री रविकान्त,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 14 सितम्बर, 2004

विषय :– संवर्ग–प्रबंधन की दृष्टि से प्रशासनिक प्रक्रिया को इस प्रकार युक्तियुक्त बनाना ताकि अर्हक सरकारी सेवकों को रिक्ति की तिथि से ही प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके।

प्रसंग :– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रांक 104 दिनांक 09.01.1992 तथा 2786 दिनांक 19.03.93।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि प्रोन्नति में होनेवाले प्रक्रियात्मक विलम्ब को समाप्त करने के लिए आवश्यक अग्रतर कार्रवाई सभी स्तरों पर किये जा सकने के प्रयोजनार्थ उक्त परिपत्र निर्गत किये गये थे, ताकि प्रोन्नति का लाभ रिक्ति की तिथि से दिया जा सके। परन्तु उपर्युक्त पत्रों में निहित स्पष्ट अनुदेश के बावजूद वस्तुस्थिति यह है कि रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति नहीं हो रही है। इसके कारण पदाधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल एवं कार्य के प्रति अभिरुचि में दिन–प्रतिदिन कमी आती जा रही है। इसके अलावे ऐसे व्यथित पदाधिकारी/कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं और न्यायिक आदेश के फलस्वरूप उन्हें प्रोन्नति बाध्य होकर दी जाती है। परिणामस्वरूप सरकार को न्यायालय में केस लड़ने में खर्च तो वहन करना ही पड़ता है, साथ ही लाभान्वित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बिना काम के भूतलक्षी प्रभाव से वेतन वृद्धि प्राप्त हो जाता है।

आप अवगत हैं कि प्रोन्नति से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया को सुविधापूर्ण बनाये रखने के लिए सभी संवर्गों की सेवा नियमावली और वरीयता सूची बनाये जाने के संबंध में पूर्व में आदेश निर्गत किये गये हैं। प्रत्येक अगले वर्ष में सेवानिवृत्ति इत्यादि से उत्पन्न होनेवाली रिक्तियों की गणना वर्ष के पूर्व किये जाने के संबंध में कार्रवाई अपेक्षित रहती है। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से निम्नांकित महत्वपूर्ण विन्दुओं पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय–

(क) प्रत्येक वर्ष अगले वर्ष में सेवानिवृत्ति इत्यादि से होनेवाली रिक्तियों की गणना वर्ष के प्रारम्भ में करते हुए समयानुसार प्रोन्नति देने हेतु सरकारी सेवकों का अग्रिम पैनल बनाने की कार्रवाई की जाय।

(ख) प्रोन्नति के लिए अग्रिम पैनल बनाते समय रोस्टर क्लीयरेन्स, कालावधि, गोपनीय अभ्युक्तियों का अद्यतनीकरण, संकल्प संख्या 7979 दिनांक 06.11.2003 एवं पत्रांक 541 दिनांक 22.01.2004 के अनुसार स्वच्छता संबंधी पंजी का अद्यतनीकरण, वरीयता आदि का पालन निश्चित रूप से किया जाय।

(ग) विभागीय प्रोन्नति समिति/बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा यथा समय प्राप्त कर लिया जाय ताकि अग्रिम पैनेल तैयार किया जा सके।

भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति तथा प्रोन्नति के आर्थिक लाभों के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र के प्रावधान पूर्व की भाँति लागू रहेंगे, तथापि प्रयास यही होना चाहिए कि प्रोन्नतियाँ सही समय पर दे दी जायँ। यदि उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित अनुदेश का समयबद्ध पालन किया जाय तो सही समय पर रिक्ति की तिथि से ही प्रोन्नति दिये जाने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन
रविकान्त
सरकार के सचिव

---

[10]

पत्र संख्या–3 / एम 1–010/02 का०– 541

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

मो. शरीफ आलम,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 22. 01. 2004

विषय :– विभागीय संकल्प सं० 7979 दिनांक 06.11.03 के आलोक में स्वच्छता प्रमाण पत्र से संबंधित पंजी संधारण हेतु प्रपत्र के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभागीय संकल्प सं० 7979 दिनांक 06.11.03 के आलोक में सभी विभागों/कार्यालयों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग/पदसमूह के लिए विभागीय कार्यवाही, निलंबन, विभिन्न थानों तथा निगरानी विभाग में दर्ज प्राथमिकी, समर्पित चार्जशीट और लोकायुक्त कार्यालय से लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत की गयी नोटिस और/अथवा अनुशंसाएँ से संबंधित पंजी का संधारण करते हेतु प्रपत्र विहित कर संलग्न कर भेजी जाती है।

अनुरोध है कि सभी विभाग इस विहित प्रपत्र के अनुसार पंजी का संधारण सुनिश्चित करें ताकि पंजी संधारण में एकरूपता बनी रहे।

विश्वासभाजन
मो. शरीफ आलम
सरकार के उप सचिव

स्वच्छता प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रपत्र

[विभागीय संकल्प संख्या 7979 दिनांक 06.11.03]

क्र०	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/सेवा/ संवर्ग एवं कोटि क्रमांक	प्रथम नियुक्ति की तिथि/ जन्म तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	आरोप प्राप्ति का स्रोत	आरोप की प्रकृति	निलंबन आदेश	आरोप पत्र प्रपत्र 'क' निर्गत	विभागीय कार्यवाही की स्थिति		
							विभागीय कार्यवाही का संकल्प	विभागीय कार्यवाही का फलाफल	अद्यतन स्थिति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फौजदारी मुकदमे की स्थिति						लोकायुक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई				
प्राथमिकी	थाना कांड सं./ निगरानी थाना कांड सं/ सी.बी.आई कांड सं.	अभियोजन की स्वीकृति	संज्ञान/ आरोप पत्र दाखिल अथवा नहीं	कांड/वाद का फलाफल	अन्यान्य	अधिनियम की धारा 10(1)(क) के तहत नोटिस	लोकायुक्त की अनुशंसाएँ	फलाफल	अन्यान्य	अभ्युक्ति
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

पत्र संख्या–3/क्यू1–01/2001–74

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

बि० के० हलदर,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 06. 01. 2004

विषय :– रिक्ति एवं अर्हक पदाधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध रहने पर ससमय प्रोन्नति का लाभ दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार के ध्यान में इस तथ्य को लाया गया है कि रिक्तियाँ एवं अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के उपलब्ध रहने पर भी अनुमान्य प्रोन्नति समय पर नहीं दी जाती है। इसके कारण पदाधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल एवं कार्य के प्रति अभिरुचि में दिन–प्रतिदिन कमी आती जा रही है। इसके अलावे ऐसे व्यथित पदाधिकारी/कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं और न्यायिक आदेश के फलस्वरूप उन्हें प्रोन्नति बाध्य होकर दी जाती है। न्यायिक कार्यवाही के फलस्वरूप सरकार को भारी राशि न्यायालय खर्च में वहन तो करना ही पड़ता है, साथ ही लाभान्वित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना काम के भूतलक्षी प्रभाव से वेतनादि प्राप्त हो जाता है।

उल्लेखनीय है कि गोपनीय अभ्युक्तियों के ससमय दर्ज किये जाने संबंधी परिपत्र पूर्व से निर्गत है। कालावधि का पुनर्निर्धारण संबंधी संकल्प सं० 280 दिनांक 05.07.2002 निर्गत किया गया है जिसमें वेतनमान आधारित समेकित कालावधि निर्धारित है। सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निलंबन/अनुशासनिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत संकल्प सं० 7457 दिनांक 11.9.2002 के तहत निर्गत किया गया है। प्रोन्नति प्रक्रिया सरलीकरण संबंधी संकल्प सं० 7979 दिनांक 06.11.2003 भी निर्गत किया गया है। सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना भी वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 4685/वि० (2) दिनांक 25.06.2003 के तहत निर्गत की गयी है। उपर्युक्त स्पष्ट मार्गदर्शनों के बाद अनुमान्य प्रोन्नतियाँ दिये जाने में, रिक्तियाँ एवं अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर, विलम्ब की गुंजाइश नहीं रह जाती है। यदि फिर भी अनुमान्य प्रोन्नतियाँ देने में विलम्ब होता है, तो यह आश्चर्यजनक एवं खेदजनक है।

अतः अनुरोध है कि यदि रिक्तियाँ एवं अर्हता प्राप्त पदाधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध हैं तो अनुमान्य प्रोन्नतियाँ ससमय दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

वि० के० हलदर

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 17. 12. 2003

विषय :– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निलंबन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त।

भारत संघ बनाम के० बी० जानकीरमण एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय–निर्णय के आलोक में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/4/91–स्था० (क) दिनांक 14.09.1992 के अनुसरण में, राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार के समय उनके विरुद्ध निलंबन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के मामलों की स्थिति में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त का निरूपण, संकल्प संख्या–7457 दिनांक 11.09.2002 के तहत किया गया है।

2. विधि विभाग/विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त हुआ है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा–10 (1) (क) के तहत नोटिस प्रारंभिक जाँच के बाद निर्गत होता है अतः यह प्रारंभिक जाँच के बाद की प्रक्रिया है। इसलिए लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा–10 (1) (क) के तहत नोटिस निर्गत होने पर भारत संघ बनाम के० बी० जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के अनुसार मुहरबन्द लिफाफा का मामला माना जायेगा। अतः लोकायुक्त अधिनियम की धारा–10 (1) (क) के तहत निर्गत नोटिस का भी कुप्रभाव सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर पड़ेगा। परन्तु, उपर्युक्त निर्गत संकल्प में लोकायुक्त अधिनियम की धारा–10 (1) (क) के तहत निर्गत नोटिस का कुप्रभाव संबंधी प्रावधान नहीं है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक्रूपेण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उक्त संकल्प सं० 7457 दिनांक 11.09.2002 की कंडिका–2 के खंड (i) को निम्नांकित रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है–

"(i) सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति इस संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगी :–

(क) निलंबित सरकारी सेवक,

(ख) सरकारी सेवक, जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप–पत्र निर्गत किया गया हो,

(ग) सरकारी सेवक जिन पर किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो, (व्याख्या–आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लंबित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोग–पत्र (Charge Sheet) समर्पित किया गया हो), और

(घ) लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा–10 (1)(क) के तहत निर्गत नोटिस।"

4. उपर्युक्त संकल्प दिनांक 11.09.2002 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरंत लागू होगा। इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
के० ए० एच० सुब्रह्मणियन
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–3/एम1–49/2001–का०–9270 पटना–15, दिनांक 17.12.2003

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 1000 मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

नितेन चन्द्र
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम1–49/2001–का०–9270 पटना–15, दिनांक 17.12.2003

प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (प्रशाखा 3 – 100 प्रतियाँ)।

नितेन चन्द्र
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम1–49/2001–का०–9270 पटना–15, दिनांक 17.12.2003

प्रतिलिपि–बिहार लोक सेवा आयोग/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय, पटना/मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नितेन चन्द्र
सरकार के अपर सचिव

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1926 (श०)

(सं० पटना 299) पटना, सोमवार, 14 जून 2004

सं० 3/एम1–10/2002–7979

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

6 नवम्बर 2003

विषय :– राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गों/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों को दी जानेवाली प्रोन्नति की प्रक्रिया का सरलीकरण–मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग आदि से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन की अधियाचना के संबंध में।

राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गों में दी जानेवाली प्रोन्नति के पूर्व निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण–पत्र की अधियाचना और स्वच्छता प्रमाण–पत्र की मान्यता की अवधि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के ज्ञाप संख्या 4010/81–1709 दिनांक 2 दिसम्बर 1982 एवं ज्ञापांक नि०वि० 4445/85–4609, दिनांक 1 नवम्बर 1985 में निरूपित है। प्रोन्नति में विलम्ब के कारणों को दूर करने और प्रोन्नति की प्रक्रिया सरल बनाने पर विचारार्थ दिनांक 15 अक्टूबर 2001 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचारोपरान्त कतिपय अनुशंसायें की गईं। उन अनुशंसाओं में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी शामिल है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय में जानकीरमण के मामले में पारित आदेश के आलोक में राज्यकर्मियों के लिए भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11 सितम्बर 2002 निर्गत किया गया है। तदनुसार सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति उक्त संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगी :–

(क) निलंबन,

(ख) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, एवं

(ग) किसी आपराधिक आरोप के लिये फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो (आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लम्बित समझी जायेगी जिस तिथि को न्यायालय में अभियोग–पत्र समर्पित किया गया हो)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त अधिनियम, 1973

की धारा 10(1) (क) के तहत नोटिस निर्गत होने पर भारत संघ बनाम के० बी० जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के अनुसार मुहरबंद लिफाफा का मामला माना जायेगा, अतः लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1) (क) के तहत निर्गत नोटिस का भी कुप्रभाव सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर पड़ेगा।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकारी कर्मियों के निगरानी स्वच्छता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग/कार्यालय अपने यहाँ संबंधित विभाग/कार्यालय के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग/पदसमूह के लिए एक–एक पंजी संधारित करें जिसमें विभागीय कार्यवाही, विभिन्न थानों तथा निगरानी विभाग में दर्ज प्राथमिकी, समर्पित चार्जशीट एवं लोकायुक्त कार्यालय से लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत की गयी नोटिस और/अथवा अनुशंसाएँ संबंधी सूचनाएँ हों। विभाग/कार्यालय में उपलब्ध इन सूचनाओं के आधार पर विभागीय पदाधिकारियों के संबंध में प्रशासी विभाग निगरानी स्वच्छता (Vigilance clearance) निर्धारित करें। मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में संबंधित प्रशासी विभाग को वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज है एवं चार्जशीट समर्पित हुई है। इसी सूची के आधार पर विभाग/कार्यालय में संधारित पंजी को अद्यतन कर लिया जायेगा। इसी प्रकार लोकायुक्त कार्यालय से भी जनवरी एवं जुलाई माह में लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस और /अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी अद्यतन कर ली जायेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत संकल्प/पत्र/अनुदेश तदनुसार इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. यह संकल्प तुरंत लागू होगा।

आदेश –आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग /लोकायुक्त कार्यालय को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
के०ए०एच० सुब्रहमणियन
सरकार के मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़, 1925 (श०)

(सं० पटना 340) पटना, सोमवार, 30 जून 2003

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

9 मई 2003

संख्या 7/पी० एस० सी० 708/98–2950–भारत संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957" (समय–समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

उक्त विनियमावली में–

1. विनियम 7(स) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

"7 (स) राज्य सेवाओं/संवर्गों के विभिन्न वेतनमानों के पदों पर नियुक्तियों के मामलों में, निम्नलिखित को छोड़कर, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा :–

(i) राज्य सेवाओं/संवर्गों की मूल श्रेणी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति,

(ii) किसी भी सेवा/संवर्ग में उच्चतम वेतनमान के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति,

(iii) किसी भी सेवा/संवर्ग में किसी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति।

परन्तु यह अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के मामलों में लागू नहीं होगा।"

2. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

नितेन चन्द्र

अपर सचिव

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ, 1925 (श०)

(सं० पटना 55) पटना, शुक्रवार, 06 फरवरी 2004

सं० 3/एम 1–49/2001–7457

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

....

संकल्प

11 सितम्बर 2002

विषय :– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निलम्बन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार के समय आरापों, प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों, अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही एवं लोकायुक्त के द्वारा निर्गत नोटिस आदि के कुप्रभाव के संबंध में विभिन्न परिपत्रों/संकल्पों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। उदाहरणार्थ, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 4512 दिनांक 12 मार्च 1979 एवं 9146 दिनांक 12 जुलाई 1991 के द्वारा प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कुप्रभाव के संबंध में और पत्रांक 18326 दिनांक 27 सितम्बर 1998 के द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1)(क) के अन्तर्गत निर्गत नोटिस के प्रथम दृष्टया प्रमाणित माने जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। इस विषय के संबंध में भारत संघ बनाम के० वी० जानकीरमण एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय–निर्णय के आलोक में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/4/91–स्था० (क), दिनांक 14 सितम्बर 1992 के द्वारा एक अद्यतन मार्गदर्शन निर्गत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार का उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य कर्मियों के लिये लागू करने का विषय विचाराधीन था।

2. प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत – राज्य सरकार ने इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के दिनांक 14 सितम्बर 1992 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार के लिये भी निम्नांकित प्रक्रियाओं एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया जाय।

(i) सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति इस संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगी :–

(क) निलम्बित सरकारी सेवक,

(ख) सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, और

(ग) सरकारी सेवक जिनपर किसी आपराधिक आरोप के लिये फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो, [व्याख्या—आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लंबित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोग—पत्र (charge sheet) समर्पित किया गया है]।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति ऊपर वर्णित कोटियों के अन्तर्गत आनेवाले सरकारी सेवकों के मामले पर भी, उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामलों/आपराधिक कार्यवाही रहते हुए भी, अन्य सुयोग्य उम्मीदवारों के साथ प्रोन्नति के लिये उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष (जिसमें प्रोन्नति के लिये अयोग्य भी शामिल हो सकता है) मुहरबन्द लिफाफा में रखा जायेगा। इस लिफाफे के ऊपर "श्री.................... (सरकारी सेवक का नाम) के संबंध में .... ग्रेड/पद पर प्रोन्नति के लिये उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष। इसे .... के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही के निष्पादन के उपरान्त ही खोला जायेगा" अंकित किया जायेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही में संबंधित सरकारी सेवक के विषय में मात्र इस आशय की टिप्पणी अंकित की जायेगी कि "निष्कर्ष संलग्न मुहरबन्द लिफाफे में रख दिया गया है।"

(iii) जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया हो तो एतद् संबंधी रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा जा सकता है।

(iv) उपर्युक्त कंडिका (2) में उल्लिखित प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जानेवाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा भी तब तक अपनाई जाती रहेगी जबतक कि वह संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला/आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है।

(v) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति किसी भूतलक्षी तिथि के प्रभाव से प्रोन्नति पर विचार कर रही हो तो भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार मुहरबन्द लिफाफे में निष्कर्ष रखा जायेगा।

(vi) ऐसे किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है, के निष्पादित हो जाने पर मुहरबन्द लिफाफे/लिफाफों को खोला जायेगा। ऐसे मामले में जब संबंधित सरकारी सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफों में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी। ऐसे सरकारी सेवक को यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले कनिष्ठतम व्यक्ति को पदावनत (रिवर्ट) कर प्रोन्नति किया जा सकेगा। ऐसे पदाधिकारी को, उसके कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में, वैचारिक रूप से (नोशनल) प्रोन्नत किया जा सकेगा। संबंधित सरकारी सेवक को वास्तविक प्रोन्नति की तिथि से पूर्व वैचारिक (नोशनल) प्रोन्नति की अवधि के लिये बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा अथवा नहीं और, यदि हाँ, तो किस सीमा तक, इसका निर्णय संबंधित मामले में नियोक्ता प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जायेगा। जहाँ कहीं

भी प्राधिकार द्वारा वेतन अथवा उसके किसी अंश के बकायों को अस्वीकृत किया जाता है तो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकॉर्ड किया जायेगा। ऐसे सभी स्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरूपित करना संभव नहीं है, जिनके अंतर्गत वेतन अथवा उसके किसी अंश के बकायों का अस्वीकृत करना जरूरी हो, तथापि उदाहरणार्थ ऐसे मामलों में वेतन भुगतान अस्वीकृत किया जा सकता है जहाँ कार्यवाही (चाहे अनुशासनिक या आपराधिक) में स्वयं सरकारी सेवक के अनुरोध के कारण विलम्ब हुआ हो अथवा जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही में दी गई विमुक्ति (क्लीयरेंस) या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति (एक्वीटल) संदेह लाभ के कारण हो, अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने से संबंधित कर्मचारी के कृत्यों से जोड़ा जा सके।

(vii) यदि अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप सरकारी सेवक को दंड दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में मुहरबन्द लिफाफे नहीं खोले जायेंगे और उसकी प्रोन्नति के मामले पर, सामान्यतः उसे दिये गये दंड को ध्यान में रखते हुए अगली विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जायेगा।

3. **दोषी पाये जाने पर दंड की सीमा**–यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे मामले में जहाँ सुसंगत नियमों के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी हो और सरकारी सेवक को दोषी पाया गया हो तो ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसे मात्र 'चेतावनी' की सजा नहीं दी जानी चाहिए। यदि कार्रवाई के परिणामस्वरूप ऐसा पाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी पर आरोप प्रमाणित होता है तो उसे कम–से–कम "निन्दन" की सजा दी जानी चाहिए।

4. **कार्यवाही के निष्पादन में शीघ्रता**–यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध लगाये गये किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं किया जाय और इस संबंध में कार्रवाई को शीघ्रताशीघ्र अंतिम रूप दिये जाने के सभी प्रयास किये जायें, ताकि सरकारी सेवक के मामले को मुहरबन्द लिफाफे में कम से कम अवधि तक ही रखने की परिस्थिति बने। अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियोक्ता प्राधिकारों को चाहिए कि वे ऐसे सरकारी सेवकों के प्रकरणों की, जिनके उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर प्रोन्नति करने के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति ने संज्ञान लिया था और सरकारी सेवक की उपयुक्तता पर विचार कर अपने निष्कर्षों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा था, उनके मामलों पर विभागीय प्रोन्नति समिति के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसी समीक्षा बाद में भी, हर छह महीने के अन्तर पर की जानी चाहिए। इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ–साथ अनुशासनिक कार्रवाई/आपराधिक कार्यवाही में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा उन्हें जल्द–से–जल्द पूरा करने के लिये आगामी उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

5. **कार्यवाही निष्पादन में विलम्ब की स्थिति में तदर्थ प्रोन्नति की संभावना**–उपर्युक्त कंडिका–4 में उल्लिखित छमाही समीक्षा किये जाने के बावजूद, कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें पहली विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसने सरकारी सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा था, की बैठक की तारीख से दो साल बाद भी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों में अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ऐसी परिस्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे सरकारी सेवक के मामले की समीक्षा करें। अगर वह सरकारी सेवक निलम्बनाधीन न हो, तो निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने की संभावना पर विचार किया जाए–

(क) क्या सरकारी सेवक की प्रोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी ?

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उसे प्रोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है ?

(ग) क्या निकट भविष्य में इस मामले के पूरा होने की संभावना है ?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिये जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित सेवक का कोई हाथ है ?

(ड.) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित सेवक तदर्थ प्रोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है और जिसके परिणास्वरूप विभागीय मामले/आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है?

नियुक्ति प्राधिकार यदि उचित समझे तो कारणों को लिखित रूप से दर्शाते हुए लोकायुक्त के कार्यालय, निगरानी विभाग अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई/आपराधिक अभियोजन प्रारम्भ हुआ था, से परामर्श लिया जा सकता है। किन्तु नियुक्ति प्राधिकार इस संकल्प में उल्लिखित निदेशों के विपरीत परामर्श को मानने के लिये बाध्य नहीं होंगे।

6. तदर्थ प्रोन्नति पर विचार – यदि नियुक्ति प्राधिकार इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सरकारी सेवक को तदर्थ प्रोन्नति दिया जाना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो उस परिस्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिये जाने के लिये कि यथा संबंधित अधिकारी तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के लिये उपयुक्त है या नहीं, उसके मामले को दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद सामान्यतः आयोजन की जाने वाली अगली विभागीय प्रोन्नति समिति के सम्मुख रखा जाना चाहिए। इस प्रकार के सभी मामले में जहाँ सरकारी सेवक के नाम पर तदर्थ प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना हो, वहाँ विभागीय प्रोन्नति समिति को चाहिए कि वह, उस सरकारी सेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही पर ध्यान नहीं देते हुए, उस व्यक्ति के सेवा के समय रिकार्ड के आधार पर इस मामले का मूल्यांकन करें।

7. तदर्थ प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश–किसी सरकारी सेवक की तदर्थ के आधार पर प्रोन्नति किये जाने के संबंध में निर्णय ले लिये जाने के बाद ही उसकी प्रोन्नति का आदेश जारी किया जाना चाहिए और जारी आदेश में ही उल्लेख किया जाना चाहिए कि :–

(i) प्रोन्नति विशुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ प्रोन्नति से सरकारी सेवक को नियमित प्रोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा, तथा

(ii) प्रोन्नति "अगले आदेश तक" ही होगी। इस प्रकार के आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि सरकार उक्त तदर्थ प्रोन्नति को रद्द करने तथा संबंधित कर्मचारी को उसी पद पर वापस भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे प्रोन्नत किया गया है।

8. तदर्थ प्रोन्नति का विनियमन–यदि संबंधित सरकारी सेवक को मामले के गुण–दोष के आधार पर आपराधिक अभियोजन से दोष मुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवही में पूरी तरह दोषरहित करार कर दिया जाता है तो तदर्थ प्रोन्नति को नियमित प्रोन्नति में बदल दिया जाय तथा तदर्थ प्रोन्नति होने की तारीख से ही सभी संबंधित प्रसुविधाओं को नियमित प्रोन्नति के रूप में संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। यदि ऐसे सरकारी सेवक को मुहरबन्द लिफाफे/लिफाफों में रखी गई विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही से निश्चित किये गये उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ प्रोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से और उसी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे उक्त सरकारी सेवक के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है, की प्रोन्नति की वास्तविक तारीख से,

संबंधित सरकारी सेवक को उपर्युक्त कंडिका–2 (vi) में निरूपित देय वरिष्ठता तथा कल्पित (नोशनल) प्रोन्नति की सुविधायें दे दी जायेंगी।

9. दोषमुक्त नहीं होने पर प्रत्यावर्तन–यदि सरकारी सेवक को आपराधिक कार्यवाही से गुण–दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है और सरकार इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में अपील में ले जाना चाहती है अथवा विभागीय तौर पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती है अथवा यदि ऐसे सरकारी सेवक को विभागीय कार्यवाही से दोष रहित करार नहीं दिया जाता है तो प्रोन्नति को रद्द कर उसे निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए।

10. निलंबित सरकारी सेवक के स्थायीकरण का दावा–किसी निलंबनाधीन सरकारी सेवक के स्थायीकरण के दावे पर विचार करते समय भी पिछली कंडिकाओं में उल्लिखित प्रक्रियाओं का ही अनुसरण किया जाना चाहिए। जब ऐसे किसी अधिकारी के मामले को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिये एक स्थायी रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के बाद कंडिका 2 (i) की स्थिति सामने आना–कोई सरकारी सेवक, जिसकी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में कंडिका 2 (i) में उल्लिखित कोई स्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी प्रोन्नति होने से पहले सामने आती है, तो उन पर उसी प्रकार से विचार किया जायेगा जैसे कि विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया होगा। ऐसे सरकारी सेवक को तबतक प्रोन्नति नहीं किया जायेगा जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाय और इस संकल्प में दिये गये उपबन्ध उसके मामले में भी लागू होंगे।

12. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

13. राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत संकल्प पत्र/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरन्त लागू होगा। इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

ह० अस्पष्ट

सरकार के मुख्य सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 05. 07. 2002

विषय :– राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित कालावधि की व्यवस्था।

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि में एकरूपता नहीं है। विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में एक ही स्तर पर प्रोन्नति के लिए अलग–अलग कालावधि निर्धारित है। कई संवर्गों में उच्चतर स्तर पर ज्यादा कालावधि के कारण प्रोन्नति में कठिनाइयाँ हो रही थीं।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या–ए०बी० 14017/2/97–इस्ट (आर०आर०), दिनांक–25.05.98 के द्वारा वेतनमान आधारित कालावधि परिचालित की गई है। केन्द्रीय पैटर्न लागू करने के सैद्धांतिक निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की व्यवस्था के अपनाए जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन था।

3. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन एक स्तर की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में भारत सरकार के अनुरूप वेतनमान आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू की जाए :–

क्रमांक	वेतनमान जिससे प्रोन्नति दी जानी है (रुपये में)	वेतनमान जिसमें प्रोन्नति दी जानी है (रुपये में)	कालावधि (वर्ष)
1	2550–3200	2610–3540	2 वर्ष
2	2610–3540	2650–4000	2 वर्ष
3	2650–4000	2750–4400	2 वर्ष
4	2650–4000	3050–4590	4 वर्ष
5	2750–4400	3050–4590	3 वर्ष
6	3050–4590	3200–4900	3 वर्ष
7	3200–4900	4000–6000	5 वर्ष
8	3050–4590	4000–6000	8 वर्ष
9	4000–6000	4500–7000	5 वर्ष
10	4000–6000	5500–9000	10 वर्ष
11	4500–7000	5000–8000	3 वर्ष
12	4500–7000	5500–9000	6 वर्ष
13	4500–7000	6500–10500	8 वर्ष
14	5000–8000	5500–9000	3 वर्ष

15	5000—8000	6500—10500	6 वर्ष
16	5500—9000	6500—10500	3 वर्ष
17	5500—9000	7500—12000	7 वर्ष
18	5500—9000	8000—13500	8 वर्ष
19	6500—10500	7500—12000	3 वर्ष
20	6500—10500	8000—13500	5 वर्ष
21	6500—10500	10000—15200	8 वर्ष
22	7500—12000	8000—13500	2 वर्ष
23	7500—12000	10000—15200	6 वर्ष
24	8000—13500	10000—15200	5 वर्ष
25	10000—15200	12000—16500	5 वर्ष
26	10000—15200	14300—18300	10 वर्ष
27	12000—16500	14300—18300	5 वर्ष
28	14300—18300	18400—22400	3 वर्ष
29	14300—18300	16400—20000	2 वर्ष
30	16400—20000	18400—22400	2 वर्ष

उपर्युक्त वेतनमान् आधारित कालावधि तालिका मात्र निम्न वेतनमान् से ठीक ऊपर के वेतनमान् में प्रोन्नति के लिए है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि किसी निम्न वेतनमान् से ठीक ऊपर के वेतनमान् को लांघकर (jump) दूसरे या तीसरे ऊपर के वेतनमान में प्रोन्नति दे दी जाएगी। उदाहरणतः तालिका के क्रमांक–3 पर 2650–4000 वेतनमान से 2750–4400 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 2 वर्ष की कालावधि दी हुई है। क्रमांक–5 पर 2750–4400 वेतनमान से 3050–4950 के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 3 वर्ष की कालावधि दी हुई है। क्रमांक–4 में 2650–4000 के वेतनमान से 3050–4590 वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 4 वर्ष की कालावधि दी हुई है। यदि किसी सेवा संवर्ग में लगातार निम्न 3 वेतनमान हैं :–

(i) 2650–4000 (ii) 2750–4400 और (iii) 3050–4590 तो प्रोन्नति क्रमानुसार 2650–4000 से 2750–4400 और 2750–4400 से 3050–4590 के वेतनमान में अलग–अलग समय पर आवश्यकता आधारित रिक्तियाँ रहने पर प्रोन्नति की सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए क्रमशः 2 एवं 3 वर्ष की कालावधि मानते हुए की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में 2650–4000 से 3050–4590 में 4 वर्ष की कालावधि मानते हुए सीधे प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। 2650–4000 से 3050–4590 के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 4 वर्ष की कालावधि ऐसे संवर्ग के लिए है जहाँ 2650–4000 से ठीक ऊपर 3050–4590 में प्रोन्नति देय है।

4. उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर वेतनमान में संबंधित कार्मिक के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि है। इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कार्मिकों को वरीयतर वेतनमान में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। प्रोन्नति के लिए वरीयतर वेतनमान में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

5. यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तदनुकूल संशोधित कर लेगा। नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् के समक्ष संलेख के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में कालावधि संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे।

6. कालावधि का यह एकरूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पद समूहों आदि में केवल आवश्यकता आधारित प्रोन्नतियों के लिए समान रूप से लागू होगा। परंतु, कालबद्ध प्रोन्नतियों, यथा राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 12 एवं 24 वर्ष पूरा होने पर प्रोन्नति की व्यवस्था, में यह कालावधि लागू नहीं होगी।

आदेश —आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

अरविन्द प्रसाद

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/वि० 4–काला० नि०/छू०–03/2001–280 पटना–15, दिनांक 05.07.2002

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) प्रतियाँ कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग (प्रशाखा–11) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

अरविन्द प्रसाद

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–11/वि० 4–काला० नि०/छू०–03/2001–280 पटना–15, दिनांक 05.07.2002

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/बिहार लोक सेवा आयोग/लोकायुक्त के कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अरविन्द प्रसाद

सरकार के उप सचिव